क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चैम्बर प्रांगण में आहुत बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित सुझाव

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी,
आज की सभा में पधारे अतिथिगण एवं चैम्बर के सदस्यगण
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बन्धुओं

सर्वप्रथम मैं आप सभी का बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से आयोजित आज की बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ ।

मैं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि अपने व्यस्त्तम कार्यक्रमों के बावजूद चैम्बर के अनुरोध पर हमारे बीच आने की कृपा की है ।

मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले की अपेक्षा पासपोर्ट बनाने की सुविधा में काफी बेहतरी आयी है जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं ।

आज के इस अवसर पर मैं कुछ बिन्दुओं पर पासपोर्ट अधिकरी महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा :—

— पासपोर्ट के आवेदन का On line हो जाने से लोगों को सुविधा बढ़ी है परन्तु बिहार में अभी भी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से लोग Computer Friendly नहीं हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप वे आधुनिक तकनीक का लाभ नहीं उठा पाते हैं । अत: वैसे लोगों के लिए पासपोर्ट कार्यालय में समुचित संख्या में ''सहायताकेन्द्र'' की स्थापना करायी जानी चाहिए ।

— राज्य के दूर—दराज के लोगों को पटना आकर पासपोर्ट बनाने में हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के वैसे महत्वपूर्ण जिले जहाँ से अधिकाधिक आवेदन आते हों उनके लिए स्थानीय स्तर पर ही पासपोर्ट बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें बार—बार पटना आने की आवश्यकता न पड़े ।

— वैसे लोग जिन्हें पूर्व में पासपोर्ट जारी की जा चुकी है परन्तु अपरिहार्यवश खो गया हो या चोरी हो गया हो और वे पासपोर्ट के लिए पुन: आवेदन करते हैं तो वैसे लोगों के लिए Police verification को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए ।

क्रमश: 2

- राज्य के दूर–दराज के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही पासपोर्ट बनाने की सारी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आपके विभाग की ओर से छपरा, कटिहार, गया आदि स्थानों पर एक–एक Facilitation Centre की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि उनका सारा काम वहीं पर हो जाए ।

- Reputed गैर–सरकारी संगठनों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कैम्प आयोजित कर उनके सदस्यों तथा उनके परिवार वालों के लिये पासपोर्ट आवेदन पत्र, आवेदन फी एवं आवश्यक दस्तावेजों को संग्रहित कर पासपोर्ट निर्गमन की कार्रवाई प्रारम्भ की जानी चाहिए ।

- कुछ–कुछ अन्तराल पर पासपोर्ट कार्यालय में तथा इसके अगल–बगल पुलिस की ओर से सघन जॉच की जानी चाहिए जिससे कि अवांछित तत्व दूर–दराज से आनेवाले लोगों को भ्रमित कर उन्हें बेवजह परेशान नहीं कर सकें ।

- जब–तक आरोप साबित नहीं हो या अभियोग गठित (Charge Frame) न्यायालय में Submit नहीं किया गया हो तब –तक केवल इस आधार पर की आप पर आपराधिक मुकदमें हैं पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवसाय के क्रम में व्यवसायियों पर झूठे मुकदमें भी दायर किये जाते हैं जिसका निर्णय आने में काफी लम्बा समय लग जाताहै । जब–तक न्यायालय द्वारा देश छोड़ने पर प्रतिबंध या अभियोग गठित (Charge frame) नहीं किया जाता है, इसे कम्पलेक्स केस नहीं समझा जाना चाहिए ।

- पूर्व में पासपोर्ट कार्यालय में अत्यधिक भीड़ से बचने के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीय के सदस्यों को विशेष सुविधा प्रदान करते हेतु वरिष्ठ नागरिक के काउन्टर पर ही व्यवस्था की गयी थी । अत: इस व्यवस्था को चालू रखा जाना चाहिए ।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की बैठक में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा दी जाने वाली जानकारियों से राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी काफी लाभान्वितहोंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: आप सभी को धन्यवाद देते हुए श्री सिन्हाजी से आगे की कार्यवाही के लिए अनुरोध करता हूँ ।

****

पटना
दिनांक : 10-04-2017